फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत ______________ मुकाम ______________

______________ बनाम ______________

किस्म मुकदमा ______________ नं. ______________ वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/1/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उपलब्ध उप.। प्रस्तावित शर्तो हेतु उपयुक्त बिलानाम आराजी की DLC दर से गणना हेतु तहसीलदार बिजौलिया को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाबत रिपोर्ट दि. 19.1.2021 को पेश हो। [signature]	
19/1/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उपलब्ध उपस्थित। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अभिभावक उपलब्ध की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र 251 A स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जि. भीलवाड़ा	

TechNova NovaDen USR 1605906950

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री महेश चन्द्र मान (RAS) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

प्रार्थनापत्र संख्या :– 36 / 2020 **दायर तारीख 22.07.2020**

अनवान

1. महावीर कुमार पिता इन्द्रमल जाति जैन उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बून्दी रोड़ बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................प्रार्थी

बनाम

1. प्रियाबेन्नि पत्नि बेन्नि जाति ईसाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी 23 गणपति आवास गिरधरपुरा बून्दी रोड़ कोटा जिला कोटा (राज0)
2. तरयिल चाको पिता चाको जाति ईसाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी 23 गणपति आवास गिरधरपुरा बून्दी रोड़ कोटा जिला कोटा (राज0)
3. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री अनिल कुमार धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 19 / 01 / 2021

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री रामफूल धाकड ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगणप्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम बिजौलियां कला पटवार मण्डल बिजौलियां कलां में आराजी संख्या 1707 / 1628 रकबा 1–07 बीघा भूमि स्थित हैं। प्रार्थी ने ग्राम बिजौलियां कला स्थित आराजी संख्या 1707 / 1628 रकबा 1–07 बीघा भूमि में आने जाने के लिये विपक्षी की आराजी संख्या 1633 / 608 के दक्षिण दिशा की तरफ होकर आगे आराजी संख्या 1839 / 608 में से होकर आराजी संख्या 1838 / 608 में पूर्व दिशा की तरफ होता हुआ बिलानाम आराजी संख्या 1629 / 608 में से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 1707 / 1628 पर पहुंचने के लिए 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी नियमानुसार प्रभावी खातेदार जिनकी भूमि रास्ते हेतु उपयोग में ली जा रही हैं। तय की जाने वाली मुआवजा राशि भुगतान को तैयार हैं। नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी करवायी गयी।

अप्रार्थीगण क्रमांक 1, 2 की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा ट्रेस दिनांक 22.06.2020, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 ग्राम बिजौलिया कलां, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 ग्राम बिजौलिया कलां, नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 ग्राम बिजौलिया कलां, नजरी नक्शा, विक्रय विलेख की छाया प्रति दिनांक 29.06.2020 प्रस्तुत की हैं।

इस प्रकरण में तहसीदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 2020 / 2026 दिनांक 26 / 10 / 2020 में अंकित किया गया कि :–

1. ग्राम बिजौलियां कलां की आ0नं0 1707 / 1628 रकबा 1.07 बीघा भूमि राजेश कुमार, सुनील कुमार, विशाल कुमार, शशिकला, चन्दनबाल पिता बाबूलाल, इन्द्रा पत्नी बाबूलाल जैन सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रेकार्ड है। उक्त भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता चाहा गया है।
2. उक्त भूमि पर पहुचने हेतु ग्राम बिजौलियां कलां की बिलानाम आ0नं0 1638 / 608 तक गे0मु0 रास्ता दर्ज रेकार्ड है। परन्तु इसमें आगे आ0नं0 1633 / 608, 1839 / 608, 1838 / 608, 1629 / 608 मे से रास्ता दर्ज नही है।

19.1.21

लगातार पेज संख्या 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

3. प्रार्थी की भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता ग्राम बिजोलियां कलां की बिलानाम काबिल काश्त आ0नं0 1633/608 रकबा 0.12 बीघा मे से 0.02 बीघा, आ0नं0 1629/608 रकबा 0.03 बीघा मे से 0.01 बीघा किता 2 रकबा 0.03 बीघा भूमि बिलानाम भूमि मे से रास्ता हेतु प्रस्तावित है। तथ खातेदारी भूमि जो प्रियाबेन्नी पत्नी बेन्नीतरयिल चाको पिता चाको ईसाई सा0 23 गणपति आवास गिरधरपुरा बून्दी रोड कोटा खातेदार भूमि आ0नं0 1838/608 रकबा 2.19 बीघा मे से 0.03 बीघा एवं आ.नं. 1839/608 रकबा 0.14 बीघा मे से 0.03 बीघा कुल किता 2 रकबा 0.06 बीघा भूमि प्रस्तावित है।
4. मौके पर प्रियाबेन्नी पत्नी तरयिल ने दीवार कर रखी है। तथा उक्त भूमि पडत पडी हुई है। मौके पर पक्की दीवार 38 गुणा 7 फिट लम्बाई गुणा उचाई पर बनी हुई है। तथा शेष भूमि पडत पडी हुई है। उक्त भूमि आ0नं0 1839/608 रकबा 0.14 बीघा मे से रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि पर पेड पोधे लगे हुऐं है।
5. प्रार्थी की भूमि में पहुचने हेतु एक प्रचलित रास्ता भी मौके पर जाता है। ग्राम बिजौलियां कलां की चरागाह भूमि आ.नं0 606, आ0नं0 1646/608 से होता हुआ गे.मु. ओधोगिक भूमि आ0.नं. 1626/608 से होता हुआ खातेदारी भूमि आ0नं0 1846/1627 से होता हुआ प्रार्थी की भूमि पर पहुचता है जो बहुत लम्बा रास्ता है।
6. प्रस्तावित रास्ता बिलनाम भूमि मे से कुल 0.03 बीघा एवं खातेदारी भूमि मे से कुल 0.06 बीघा भूमि पर निकलेगा जबकि प्रचलित रास्ता चरागाह आ0नं0 606, 146/608 से कुल 1.01 बीघा व लघु औधोगिक भूमि आ0नं0 1626/608 से 0.04 बीघा व अन्य खातेदारी भूमि से 0.06 बीघा यानि चरागाह से कुल 1.01 बीघा व खातेदारी भूमि से 0.10 बीघा भूमि पर प्रचलित रास्ता निकलता है। अन्य खातेदारी आ0नं0 1630/608 में जाने हेतु आ0नं0 1760 रकबा 1.04 बीघा मे से 0.01 बीघा व आ0नं0 1959/608 मे से 0.02 बीघा व आ0नं0 1632 रकबा 0.05 बीघा, आ0नं0 1759/608 रकबा 0.07 बीघा मे से 0.02 बीघा का अन्य प्रस्ताव तैयार किया गया ।
7. मौके पर पक्ष (वादी) एवं विपक्ष (प्रतिवादी) उपस्थित है। प्रतिवादी ने मौके पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है।

पंजीयन शाखा से ली गई रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर की मालियत 102520/– रूपये का दुगुना से 205040/– राशि बनती है।

बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गयी।

हमने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया एवं विद्‌वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्राप्त रिपोर्ट पर अधिवक्ता विपक्षी ने रास्ते की भूमि के एवज में भूमि की मांग की गई। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी ने रास्ते की भूमि के बदले भूमि अप्रार्थीगणको देन में अपनी सहमति जाहिर की। तहसीलदार बिजौलियां से रास्ते की भूमि के बदले में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगणको दी जाने वाली भूमि बाबत् पुनः मौका रिपोर्ट मांगी गयी।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2020/2304 दिनांक 18/12/2020 में अंकित किया गया कि :–

ग्राम बिजौलियां कला में आराजी संख्या 1707/1628 रकबा 1–07 बीघा भूमि में आने जाने के लिये विपक्षी की आराजी संख्या 1633/608 के दक्षिण दिशा की तरफ होकर आगे आराजी संख्या 1839/608 में से होकर आराजी संख्या 1838/608 में पूर्व दिशा की तरफ होता हुआ बिलानाम आराजी नं0 1629/608 में से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 1707/1628 पर पहुंचने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है।

19.1.21

लगातार पेज संख्या 3 पर

उपखण्ड अधिकारी